मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 17.07.2025

अनुमानित कीमत ₹ 05 लाख के अवैध गांजा के साथ 01 अंतर्जनपदीय शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार—

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गए हैं । उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है । दिनांकः 16.07.2025 थानाध्यक्ष जमालपुर अमित कुमार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत भाईपुर बाजार से 01 शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया । जिसके द्वारा पूछताछ में अपना नाम पता विनोद यादव पुत्र गामा यादव निवासी मुडियारी बनतरवा थाना भुडकुड़ा जनपद गाजीपुर बताया गया । मौके से बोरे में भरकर 10 बण्डलो में रखा कुल 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-112/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

विनोद यादव पुत्र गामा यादव निवासी मुडियारी बनतरवा थाना भुडकुड़ा जनपद गाजीपुर , उम्र करीब -30 वर्ष ।

बरामदगी विवरण —

- 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 05 लाख)

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-112/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

थाना जमलापुर क्षेत्रांतर्गत भाईपुर बाजार से, दिनांकः 16.07.2025 को समय 21.35 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष जमालपुर अमित कुमार, उप-निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय पुलिस टीम ।

****